

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पीठ निरस्त/440/2024, लखनऊ :: दिनांक 16 अप्रैल, 2024

--: संशोधित आदेश ::--

चैत्र रामनवमी मेला 2024, दिनांक 17.04.2024 को अयोध्या में होना सुनिश्चित हुआ है, जिसके कारण संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रोटोकाल, उत्तर प्रदेश शासन ने आदेश दिनांकित 10.04.2024 द्वारा दिनांक 15.04.2024 से दिनांक 18.04.2024 तक मेले का व्यस्त व लोकप्रिय समय (Peak Period of Mela) होने के कारण अत्यधिक भीड़ सम्भावित है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में सम्यक रूप से विचार करते हुए पूर्व निर्गत उक्त आदेश सं0 251/2024 दिनांक 04.03.2024 को आंशिक रूप में संशोधित करते हुए फैजाबाद पीठ में दिनांक 18.04.2024 व 19.04.2024 की गठित युगल पीठ तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-16.04.2024
(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या- दिनांक ::यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, फैजाबाद पीठ-फैजाबाद।
- 2- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
- 3- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से



निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पीठ निरस्त/439/2024, लखनऊ :: दिनांक 16 अप्रैल, 2024

--: संशोधित आदेश ::-

न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-झॉसी ने पत्र संख्या- 81/2024 दिनांक 16.04.2024 द्वारा दिनांक 22.04.2024 से 25.04.2024 तक गठित युगल पीठ में व्यक्तिगत कारणों से गठित खण्ड पीठ से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में सम्यक रूप से विचार करते हुए पूर्व निर्गत उक्त आदेश सं0 251/2024 दिनांक 04.03.2024 को आंशिक रूप में संशोधित करते हुए झॉसी पीठ में दिनांक 22.04.2024 से 25.04.2024 तक गठित युगल पीठ तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-16.04.2024

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या- दिनांक ::यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, झॉसी व पीठ- 2 कानपुर।
- 2- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
- 3- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा सं.

निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।